न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 38/2021
दायर दिनांकः 17.11.2021
निर्णय दिनांक 09.05.2025

—: अनवान :—

श्री प्रतापसिंह डोडिया पिता स्व. श्री मानसिंह जी डोडिया, जाति राजपूत उम्र 53 वर्ष, निवासी लावा सरदारगढ, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.) हाल निवासी 151, नवरत्न कॉम्पलेक्स, बेदला रोड, उदयपुर (राज.) — **निगरानीकर्ता**

बनाम

1. ग्राम पंचायत, सरदारगढ, पंचायत समिति आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.) जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत, सरदारगढ, पंचायत समिति आमेट, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्री महिपालसिंह पिता स्व. श्री मानसिंह डोडिया, जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी लावा सरदारगढ, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

— **विपक्षीगण**

निगरानी बाबत पट्टा विलेख निरस्तीकरण एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः—

1— श्री जितेन्द्र पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2— अप्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 01 अनुपस्थित।
3— श्री कुलदीप पालीवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 2

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार ने निगरानी बाबत् पट्टा विलेख निरस्तीकरण एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 के द्वारा सरदारगढ़ किले का विपक्षी संख्या 2 के प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त किले का सनद पट्टा आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनाक 13.08.2003 को जारी किया गया जिसके पट्टा कमांक 18388 होकर जिसमें अंकित पडौस जो कि पूरब मे रास्ता व हरिजन बस्ती, पश्चिम मे—मगरी एवं पानी की टंकी, उत्तर मे— मनोहर सागर तालाब एवं दक्षिण में—रास्ता एवं गांव, जबकि उक्त पट्टा विलेख में जो नजरी नक्शा दर्शाया गया है उसके पास में अंकित पडौस भिन्न है जो कि इस प्रकार है— पूरब मे रास्ता व गांव, पश्चिम मे हरिजन बस्ती, उत्तर में एवं दक्षिण में मनोहर सागर तालाब

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अंकित किया गया है। उक्त सनद पट्टा विपक्षी संख्या 1 द्वारा जारी किया गया है जिसमे उक्त सनद पट्टा मे जो नाप अंकित किया गया है वह 1000 फिट गुणा 300 फिट का जारी किया गया है। जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की पालना नहीं की गई है और विपक्षी संख्या 2 के प्रभाव में यह पट्टा अवैध एवं विधि विरुद्ध रूप से जारी किया गया है। जिससे उक्त सनद पट्टा जो कि विधि विरुद्ध एवं अवैध होने से खारिज किया जाना आवश्यक है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा जो गलत एवं झूठे तथ्य अंकित कर विपक्षी संख्या 1 के समक्ष जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है और जिस बाबत विपक्षी संख्या 2 ने जो विधि विरुद्ध आधार लेकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है और विपक्षी संख्या 1 ने जो सनद पट्टा जारी किया है वह झूठे आधारों पर प्रस्तुत होने तथा विपक्षी संख्या 1 के द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये एवं सम्बन्धित सम्पत्ति के मालिकाना हक आदि के दस्तावेजों की पूर्ण जांच किये बिना जो सनद पट्टा जारी किया है वह खारिज किये जाने योग्य है। लावा सरदारगढ़ (किला) जिसका निर्माण बहुत प्राचीन समय में वर्ष 1733 से 1738 के मध्य ठाकुर सरदारसिंह जी डोडिया के द्वारा बनवाया गया था और जो कि लगभग 9 बीघा क्षेत्र में बना हुआ होकर एक प्रतिष्ठित ठिकाना है जिससे उक्त गढ़ का निर्माण मूल पुरूष ठाकुर सरदार सिंह जी डोडिया के द्वारा करवाया गया था जो आगे चलकर उनके उत्तराधिकारियों के पास बतौर पैतृक सम्पत्ति के रूप में चला आता है। वर्तमान में जो आवश्यक तौर पर सजरे की आवश्यकता है जो निम्न प्रकार है:–

मूल पुरुष सरदारसिंह जी
|
उनके पुत्र सामंतसिंह जी
|
उनके पुत्र रोडसिंह जी
|
जोरावर सिंह जी
|

मनोहरसिंह	सादूलसिंह जी (लाऔलाद फौत)	ओनाड सिंह जी
वेरीसालसिंह जी (इनका देहावसान मनोहरसिंह जी के जीवनकाल में हो गया)	सोहनसिंह जी (ये मनोहरसिंह जी के गोद गये)	मोहनसिंह जी
सोहनसिंह जी(गोद आये)		
इसके पुत्र लक्ष्मणसिंह जी (देहावसान 1929 में)		

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

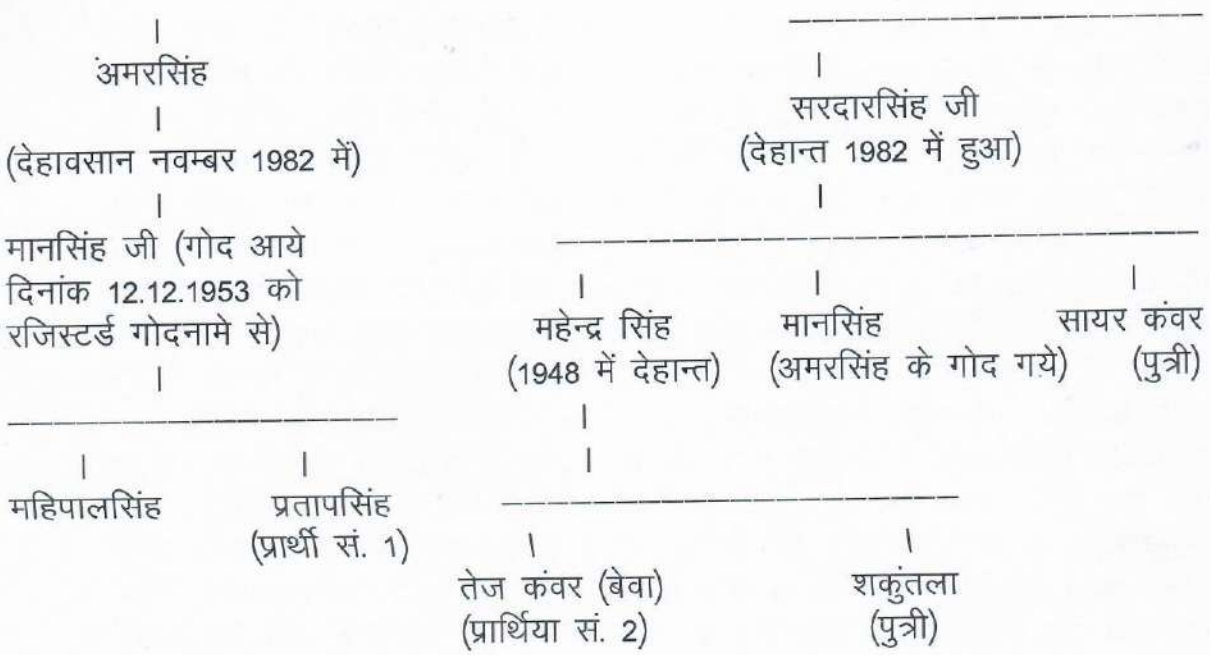

अमरसिंह
(देहावसान नवम्बर 1982 में)
मानसिंह जी (गोद आये दिनांक 12.12.1953 को रजिस्टर्ड गोदनामे से)

- महिपालसिंह
- प्रतापसिंह (प्रार्थी सं. 1)

सरदारसिंह जी
(देहान्त 1982 में हुआ)

- महेन्द्र सिंह (1948 में देहान्त)
  - तेज कंवर (बेवा) (प्रार्थिया सं. 2)
  - शकुंतला (पुत्री)
- मानसिंह (अमरसिंह के गोद गये)
- सायर कंवर (पुत्री)

निगरानीकर्ता जो कि स्वर्गीय श्री मानसिंह जी डोडिया के पुत्र हैं एवं सनद पट्टा प्राप्तकर्ता श्री महीपाल सिंह जी जो कि निगरानीकर्ता के रक्त सम्बन्ध से स्थापित्त होकर सगे भाई है और चूंकि दोनो ही निगरानीकर्ता एवं विपक्षी संख्या 2 स्वर्गीय श्री मानसिंह जी के जायन्दा पुत्र हैं और स्वर्गीय श्री मानसिह जी को जो सम्पत्ति लावा सरदारगढ़ (किला) अपने पूर्वज अमरसिंह जी से प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त सम्पत्ति की प्रकृति पैतृक सम्पत्ति की है और चूंकि उक्त सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति है इस सन्दर्भ में निगरानीकर्ता एवं श्रीमती तेज कंवर पत्नी श्री महेन्द्रसिंह जी डोडिया के द्वारा एक विभाजन का वाद दिंनाक 05.08.2003 को माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश, राजसमन्द (राज.) मे प्रस्तुत किया था जिस पर दिनाक 11.10.2006 को माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) राजसमन्द (राज.) द्वारा निर्णित किया गया है। जिस सम्पत्ति बाबत विपक्षी संख्या 1 के द्वारा सनद पट्टा जारी किया गया है। उक्त सम्पत्ति उपरोक्त वर्णित वाद की वादग्रस्त सम्पत्ति है जिसके सन्दर्भ में माननीय न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री पारित की जाकर निगरानीकर्ता के पक्ष में 1/6 हिस्से का स्वामित्व एवं आधिपत्य मानते हुए निर्णित किया गया है और इसके सन्दर्भ में वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर (राज.) में मामला अपील के रूप में विचाराधीन है जिससे उक्त सनद पट्टा नामी सम्पत्ति लावा सरदारगढ़ (किला) वादग्रस्त सम्पत्ति है और अन्तिमतः निर्णित नहीं हुआ है और विधि की दृष्टि से भी मामला सबज्यूडिश है जिससे विपक्षी संख्या 2 के द्वारा तथ्यों को छिपा कर एवं झूठा प्रार्थना–पत्र व शपथ–पत्र देकर जो विपक्षी संख्या 1 से सनद पट्टा प्राप्त किया है वह विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत ने जो सनद पट्टा जारी किया है उसे जारी करने मे नियमों की कोई पालना नहीं की है। पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत पट्टा जारी करने से पूर्व तय की गई औपचारिकताएँ

पूरी की जाना आवश्यक है लेकिन उक्त मामले मे इन औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया है। सारी कार्यवाहियों को ग्राम पंचायत के द्वारा अपने स्तर पर ही शीघ्रातिशीघ्र रूप से की जाकर सनद पट्टा जारी कर दिया गया है जो कि विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। उक्त सम्पत्ति जिसके सन्दर्भ में पट्टा जारी किया गया है जिसमें विपक्षी संख्या 2 के पिता श्री मानसिंह जी के द्वारा जो प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है वह स्पष्ट करता है कि उन्होने झूठे तथ्य अंकित कराये हैं और उनके जीवनकाल में ही विपक्षी संख्या 2 के नाम से जो कि उनके बडे पुत्र हैं, सनद पट्टा जारी कर दिया गया जो कि विधिनुसार जारी नहीं किया जा सकता है क्योकि सम्पत्ति की प्रकृति स्पष्ट तौर पर पैतृक सम्पत्ति हैं और मानसिंह जी डोडिया को ऐसी सम्पत्ति के सन्दर्भ मे निजी सम्पत्ति बताकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था और साथ ही उनके उपरांत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भी विपक्षी संख्या 2 को अपने पक्ष में सनद पट्टा जारी करवाने का भी विधितः कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। बावजूद इसके जो झूठे तथ्य दर्शा कर सनद पट्टा प्राप्त किया गया है वह अविधिक हैं और निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत लावा सरदारगढ विपक्षी संख्या 1 को ऐसा कोई भी प्रमाण–पत्र जारी करने का अधिकार प्राप्त नहीं हैं जिसमें यह तय किया जा सके कि सम्पत्ति किसकी थी, किसने विक्रय की, कौन कहा निवास करता था और कौन किसका गोदपुत्र हैं या गोद चला गया आदि बाते स्पष्ट करते हुए प्रमाण–पत्र जारी करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है किन्तु बिना किसी ठोस जानकारी एवं दस्तावेजी साक्ष्य के बिना विपक्षी संख्या 1 द्वारा ऐसा प्रमाण–पत्र जारी किया गया है जो कि उक्त सनद पट्टा कार्यवाही की मिसल मे सलंग्न है, ऐसा प्रमाण–पत्र भी निरस्तनीय है जो कि विधि से परे जाकर जारी किया गया है। उक्त सम्पत्ति कभी भी विपक्षी संख्या 2 या विपक्षी संख्या 2 के पिता स्वर्गीय श्री मानसिंह जी की निजी सम्पत्ति नहीं रही है। उक्त सम्पत्ति मानसिंह जी को उनके पिता से और उन्हें उनके पिता पूर्वजों से प्राप्त हुई है, सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति है किसी भी रूप में सम्पत्ति निजी सम्पत्ति नहीं है। बावजूद इसके ग्राम पंचायत ने जो बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य की जानकारी किये जो पट्टा दिनाक 13.08.2003 को जारी किया गया है और साथ ही जो शपथ–पत्र दिंनाक 31.01.2004 को विपक्षी संख्या 2 के द्वारा प्रदत्त किया गया है उससे ही स्पष्ट है कि पट्टा पूर्व में ही जारी हो चुका है और शपथ–पत्र आगामी दिनाक पर प्राप्त किया गया है जिससे उक्त सनद पट्टे के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत लावा सरदारगढ विपक्षी संख्या 1 का फर्जीवाडा प्रमाणित होता है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा मात्र विपक्षी संख्या 2 के प्रभाव मे आकर और बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य एवं सम्पत्ति की वस्तु स्थिति की जांच पडताल किये बिना एवं बिना तस्दीक किये ही जो सनद पट्टा जारी किया गया है जो कि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के नियमों की पालना किये बिना जारी किया है। विपक्षी संख्या 2 ने उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति बाबत जो विपक्षी संख्या 1 के माध्यम से पट्टा प्राप्त करने का प्रयास किया और पट्टा प्राप्त किया गया है वह सीधा–सीधा उक्त सम्पत्ति को हडपने की मंशा से अपने पक्ष में निजी सम्पत्ति दर्शा कर प्राप्त करने की कोशिश की है और इसमे विपक्षी संख्या 1 ने जो सहयोग प्रदान किया है वह विपक्षी संख्या 1 के पद का दुरूपयोग हैं और ऐसे पद के दुरूपयोग से जो विधि विरूद्ध सनद पट्टा जारी किया है वह स्वयंमेव ही शून्य एवं

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

निष्प्रभावी दस्तावेज की श्रेणी में आता है जिससे ऐसा सनद पट्टा अवैध होने से खारिज किये जाने योग्य है। विपक्षी संख्या 2 के द्वारा उक्त तथाकथित सनद पट्टे को प्राप्त कर उसका दुरूपयोग किया जाकर उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति पर तृतीय भार सृजित करते हुए विभिन्न बैंक एवं बैकिंग संस्था इत्यादि से ऋण आदि प्राप्त कर लिये है। विपक्षी संख्या 2 के द्वारा उक्त सनद पट्टे का दुरूपयोग किया जा रहा है जिससे विपक्षी संख्या 2 के द्वारा किये गये इन कृत्यों से निगरानीकर्ता के अधिकारों को नुकसान कारित हो रहा है। प्रथमतः तो ऐसा सनद पट्टा नामी दस्तावेज जो कि विधि विरूद्ध बिना किसी विधिक कार्यवाही के जारी किया गया है जो स्वयंमेव ही शून्य दस्तावेज है किन्तु चूंकि एक बार कोई दस्तावेज जारी किया जा चुका है तो ऐसे दस्तावेज को निरस्त कराया जाना नितांत आवश्यक होने से और उसके भविष्यवृत्ति दुरूपयोग को रोकने के लिये उसका निरस्तीकरण कराया जाना आवश्यक होने से निगरानीकर्ता के पास एक मात्र विकल्प है जिससे उक्त निगरानी प्रस्तुत करना आवश्यक है और निगरानीकर्ता उक्त निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकारी है और इसी अनुरूप उक्त सनद पट्टा दिंनाक 13.08.2003 को निरस्त कराने का अधिकारी है। उक्त पट्टे की जानकारी होने से निगरानीकर्ता को उक्त पट्टा विलेख का निरस्तीकरण कराया जाना आवश्यक होने से और चूंकि वाद सिविल न्यायालय में लम्बित होने और माननीय उच्च न्यायालय में अपील लम्बित होने से निगरानीकर्ता के अधिकार सुरक्षित थे एवं सुरक्षित हैं, परन्तु निगरानीकर्ता को जानकारी हुई है कि विपक्षी संख्या 2 उक्त सनद पट्टे का दुरूपयोग कर रहा है तो इस सन्दर्भ में बैंको से ऋण इत्यादि प्राप्त किये जा रहे है जिससे दिंनाक 30.08.2021 को उक्त तथ्यों की जानकारी होने से वादहेतुक उत्पन्न होने से निरन्तर जारी है और उक्त निगरानी अन्दर मयाद प्रस्तुत है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि निगरानीकर्ता की याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत सरदारगढ़, पंचायत समिति आमेट जिला राजसमन्द (राज.) द्वारा जारी सनद पट्टा दिनाकिंत 13.08.2003 को अपास्त किया जाकर निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावे

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप पालीवाल ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में ग्राम पंचायत सरदारगढ़ से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गई।

गैर निगराकार संख्या 2 के अधिवक्ता ने प्रारंभिक आपत्ति सहित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या एक द्वारा सरदारगढ किले का विपक्षी संख्या दो के पक्ष में विपक्षी द्वारा विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने एवं आवेदन पत्र के साथ अपने पिता मानसिंह जी का लिखित सहमती पत्र प्रस्तुत करने का नियमानुसार कार्यवाही करते हुऐ उक्त गढ़ का पट्टा विपक्षी संख्या दो के पक्ष में जारी किया है जो उप पंजियक सरदारगढ के यहाँ पर पंजीबद्ध करवाया गया है। उक्त सरदारगढ गढ रियासत काल के समय में जागीरदार अमरसिंह जी का रहा है। अमरसिंह जी रियासत काल में ठिकाना सरदारगढ के जागीरदार शासक रहे है और यह उनकी शासकीय

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

सम्पत्ति थी। जागीर रिजम्शन होने पर राजस्थान सरकार प्रभाव में आने से पूर्व ठिकाना सरदारगढ़ स्वयं समस्त सम्पत्तियो के मालिक थे। ठिकाना सरदारगढ़ को मेवाड गोरमेंट द्वारा शासकीय अधिकार प्रदत्त कर रखे थे। जब ठिकाना सरदारगढ में शासकीय अधिकार प्रदत्त थे तो उनके द्वारा तत्कालीन विधि अनुसार समस्त अधिकार अपने में निहित थे। जिस प्रकार वर्तमान समय में राज्य सरकार में निहित है। सरदारगढ को जागीर कमिश्नर द्वारा तत्कालीन जागीरदार अमरसिंह जी निजी सम्पत्ति के रूप में घोषित किया था उक्त आदेश उनके जीवनकाल तक एवं उसके पश्चात् मानसिंह जी को यह सम्पत्ति अमरसिंह जी के गोदपुत्र होने से प्राप्त हुई। इसलिए मानसिंह जी ने भविष्य में इस सम्पत्ति को लेकर अन्य कोई विवाद न करे क्योंकि उनके जीवनकाल में ही स्वयं प्रतापसिंह गोद जाने के पश्चात् भी अनावश्यक विवाद कर रहा था तो उन्होनें अपने पुत्र महिपालसिंह के भविष्य को देखते हुऐ ग्राम पंचायत में उक्त गढ का पट्टा जारी कराने के लिए अपने पुत्र के पक्ष में सहमती प्रदान कर दी क्योंकि उक्त गढ़ शासकीय रेकार्ड में आबादी भुमि के रूप में दर्ज है और गढ़ को शासकीय रेकर्ड में दर्शाया हुआ है इसलिए ग्राम पंचायत से उक्त गढ़ का पट्टा विपक्षी संख्या दो के पक्ष में मानसिंह जी की सहमती से जारी करवाया गया है। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार आबादी भुमि होने एवं मौके पर मानसिंह जी एव महिपालसिंह जी का कब्जा आधिपत्य होने से मानसिंह की सहमती से पुत्र महिपालसिंह के पक्ष में नियमानुसार जारी किया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी नियमानुसार पट्टे को उप पंजियक सरदारगढ द्वारा पंजीबद्ध किया गया है यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त पट्टा पंजीयन करने के पूर्व उप पंजियक सरदारगढ द्वारा उक्त पट्टे को पंजीबद्ध नहीं किया था जिसके संबध में श्रीमान महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान कर भवन अजमेर के आदेश कमांक एफ 7/69/04/1457 दिनांक 19.02.2004 को उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत आबादी भुमि में उक्त सम्पत्ति होने से स्वामित्व का प्रमाण पत्र नियमानुसार ग्राम पंचायत को जारी करने का अधिकार होने से उक्त पट्टे को नियमानुसार पंजीयन करने के आदेश जारी किये गये थे जिसकी पालना में उप पंजियक सरदारढ द्वारा उक्त पट्टे का पंजियन किया है। उप पंजियक सरदारगढए द्वारा उक्त पट्टे का पंजियन महानिरीक्षक पंजियन एवं मुद्रांक विभाग अजमेर के आदेश दिनांक 19.02.2004 की अनुपालना में पंजियन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में महानिरीक्षक पंजियन मुद्रांक के आदेश दिनांक 19.02.2004 को अपास्त कराये बगेर उक्त पंजीकृत पट्टे को कानूनन निरस्त नहीं किया जा सकता है। सजरा गलत बताया है। प्रार्थी संख्या दो तेजकंवर निगराकार नहीं है। प्रतापसिंह सरदारसिंह जी के गोद चले गये थे जिसे सजरे में नहीं दर्शाया गया है। निगराकारर मानसिंह के पुत्र नहीं रहे थे प्रतापसिंह निगराकार सरदारसिंह जी के गोद पुत्र थे । सरदारसिंह जी ने अपने जीवनकाल में प्रतापसिंह को गोद रखा था और इस संबंध में विधिवत गोद की रस्में पुरी हूई सरदारसिंह जी ने गोदनामा भी प्रतापसिंह के पक्ष में बजाब्ता स्टाम्प पर निष्पादित किया था। सरदारसिंह जी के निधन के पश्चात् उनकी कृषि भुमि, हवेली, बैंक में जमा राशि अर्थात समस्त चल अचल सम्पत्ति प्रतापसिंह को प्राप्त हुई और प्रतापसिंह को सरदारसिंह जी के देहान्त के पश्चात् प्राप्त सम्पत्तियो को उन्होनें खुर्द बुर्द करना प्रारम्भ कर दिया। प्रतापसिंह स्वर्गीय मानसिंह जी का पुत्र न होकर

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

सरदारसिंह जी ने अपने जीवनकाल में प्रतापसिंह को गोद रखा था इस संम्बन्ध में सामाजिक रिती रिवाज अनुसार गोद की रस्में पुरी की जाकर विधिवत गोद के सारे कार्यक्रम हुऐ तथा विधिवत गोद रखे जाने के पश्चात् इस संबंध में प्रतापसिंह के पक्ष में सरदारसिंह द्वारा एक गोदनामा भी दिनांक 19.07.1974 को बजाब्ता स्टाम्प पर निष्पादित किया गया था। उक्त गोदनामा निष्पादित होने से एवं प्रतापसिंह सरदारसिंह के गोद चले जाने से प्रतापसिंह का मानसिंह व उसके परिवार से व उसकी सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। प्रतापसिंह मानसिंह का पुत्र न होकर वह प्रतापसिंह मुतबन्ना सरदारसिंह के रूप में माना जाने लगा है । मानसिंह के परिवार से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होने से कानूनन प्रतापसिंह की मानसिंह के परिवार एवं सम्पत्ति में कोई हक अधिकार उजर एतराज करने का नहीं रहता है। जब सरदारसिह जी की सम्पत्तियों प्रतापसिंह जी के जीवन यापन हेतु कम होने लगी तो प्रार्थी प्रतापसिंह ने अपने प्राकृतिक पिता के खिलाफ विभाजन का वाद मानसिंह जी के जीवनकाल में जिला न्यायाधीश राजसमंद के यहाँ प्रस्तुत किया जो न्यायालय अपर न्यायाधीश फास्ट ट्रेक राजसमंद में पश्चात्वर्ती स्तर पर अंतरण हुआ है। प्रतापसिंह द्वारा सरदारसिंह जी की सम्पत्ति को अंतरण करने के पश्चात् अपने जीवन यापन हेतु अनावश्यक खर्चों के लिए रूपयो की आवश्यकता हुई तो वह मानसिंह पर उनके हिस्से की सम्पत्ति को अपने नाम पर कराने हेतु अनावश्यक दबाव बनाने लगा था । मानसिंह जी ने जब प्रतापसिंह के साथ कोई सहयोग नहीं किया और संव्यवहार नहीं किया तो मानसिंह जी को वह मुकदमा करने की धमकी देने लगा। इसलिए मानसिंह जी को आभास हो गया कि प्रतापसिह मेरे जीवनकाल में ही इस तरह का कृत्य कर रहा है तो उन्होनें उक्त घर का पट्टा विपक्षी संख्या दो महिपालसिंह के नाम पर जारी कराने की सहमती ग्राम पंचायत में प्रस्तुत की जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मानसिंह जी की सहमती के आधार पर उनके पुत्र महिपालसिंह के पक्ष में जारी कर दिया गया। जिसकी जानकारी प्रारम्भ से ही प्रार्थी निगराकार प्रतापसिंह को रही है। अपर जिला न्यायाधीश राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 11.10.2006 के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील मानसिंह जी व विपक्षी संख्या दो द्वारा अपील संख्या 118/2007 प्रस्तुत कर रखी है जो विचाराधीन है तथा हस्तगत प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पर दिनांक 20.04.2015 को निर्णय पारित किया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है ऐसी स्थिति में पट्टा जारी करने के 18 वर्ष पश्चात् केवल यह कह कर कि तथ्य छिपा कर झूठा प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र देकर पट्टा जारी कराया हो मिथ्या है। बल्कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील अन्तिम निर्णय की स्थिति में है इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा अपील में प्रतापसिंह के हक में कोई हक अधिकार प्राप्त होना सम्भव नहीं होना लगने से केवल विवाद पैदा करने के लिए उक्त निगरानी याचिका प्रस्तुत की है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। उक्त गढ पर कब्जा एवं मालिकना हक विपक्षी संख्या दो एवं उसके पिता मानसिंह का रहा है। मानसिंह जी की सहमती से विपक्षी संख्या दो के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। राजस्थान राज्य का गठन होने के समय भी अमरसिंह जी ठिकाना सरदारगढ़ के जागीरदार थे और अमरसिंह जी के जीवनकाल में राज्य सरकार द्वारा जब रियासत काल की जागीरे समाप्त कर जागीरी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

रिजम्शन एक्ट के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गई उस समय जागीर कमिश्नर राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जागीर रिजम्शन एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुऐ ठिकाना सरदारगढ के जागीरदार अमरसिंह जी की निजी सम्पतियो के संबंध में जागीर कमिश्नर द्वारा दिनांक 02.08.1963 को निर्णय करते हुऐ उनकी निजी सम्पत्ति का विनिश्चय किया गया है। जागीर कमिश्नर द्वारा पारित निर्णय में सरदारगढ़ के जागीरदार अमरसिंह जी की सम्पत्ति सुची में गाँव सरदारगढ़ में पृष्ठ संख्या 2 पर सम्पत्ति संख्या सात के रूप में तालाब मनोहर सागर की पाल पर बंगला मकानात के सम्बन्ध में पृष्ठ संख्या चार पर मौजा सरदारगढ़ में स्थित गढ जिसमें जागीरदार का निवास है को विचारणीय रखते हुऐ तहसीलदार द्वारा एतराज करने के उपरान्त जागीर कमिश्नर ने अपने निर्णय में सरदारगढ की निजी सम्पत्ति सुची घोषित की है जिसमें कम संख्या 1 पर सरदारगढ़ खास में गढ जिसमें जागीरदार का निवास है को जागीदार सरदारगढ़ की निजी सम्पत्ति घोषित किया गया है। इस प्रकार जागीर कमिश्नर द्वारा उक्त गढ़ को जागीरदार अमरसिंह जी की निजी सम्पत्ति घोषित करने का आदेश दिया गया है। जागीरदार कमिश्नर निर्णय को किसी भी न्यायालय में प्रश्नचिन्ह नहीं किया गया है न ही कानूनन उक्त निर्णय को प्रार्थी / निगराकार द्वारा प्रश्नचिन्ह किया जा सकता है। जागीर कमिश्नर का निर्णय दिनांक 03.08.1963 अन्तिम हो चुका है जिसके बारे में सही होने की कानूनन उपधारणा है। ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या दो द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा वैद्य एवं सही है। मानसिंह जी द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त गढ का पट्टा अपने पुत्र के नाम पर जारी कराने हेतु प्रार्थना पत्र एव सहमती जो प्रदान की है वह विधि सम्मत है। मानसिंह जी की यह स्वअर्जित सम्पत्ति है क्योंकि जागीरी रिज्युम होने के पश्चात् सह सम्पत्ति अमरसिंह जी की निजी सम्पत्ति थी और अमरसिंह जी के मानसिंह जी गोद पुत्र थे ऐसी स्थिति में यह सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति नहीं है। वैसे तो उक्त सम्पत्ति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है फिर भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भी यह सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति कानूनन नहीं मानी जा सकती है क्योंकि जागीरदार कमिश्नर द्वारा इसे अमरसिंह जी की निजी सम्पत्ति घोषित किया है और अमरसिंह जी के स्वर्गवास के बाद मानसिंह को सम्पत्ति प्राप्त हुई है जिसमें मानसिंह के अतिरिक्त अन्य कोई हक अधिकार निहित नहीं होते है क्योंकि अमरसिंह जी का एक मात्र प्रथम श्रेणी का वारिस मानसिंह जी ही थे। ग्राम पंचायत को आबादी भूमि में स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने का व पट्टा जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है और पट्टा जारी करने से पूर्व समस्त विधिक औपचारिकताएँ पूरी करते हुऐ नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टे की जानकारी निगराकार को प्रारम्भ से रही है। उक्त सम्पत्ति को हडपने के लिए काफी प्रयास किया गया लेकिन निगराकार को कोई सफलता नहीं मिली । माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा भी अप्रार्थी संख्या दो का हक अधिकार एवं कब्जा आधिपत्य प्रथम दृष्टया माने जाने पर ही निगराकार की रिसीवरी का प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 20.04.2015 को अस्वीकार का खारिज किया है तत्पश्चात् जब अपील अन्तिम निर्णय हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तब अनावश्यक दबाव विपक्षी संख्या दो पर बनाने के लिए व अपीलीय न्यायालय में नई साक्ष्य तैयार करने के उद्देश्य से यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की हैं जबकि जानकारी दिनांक पट्टा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

जारी करने अर्थात वर्ष 2003 से ही रही है। निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आधारहीन होने से सव्यय खारिज फरमाई जावे ।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी दौराने बहस अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी संख्या 1 ग्राम पंचायत लावा सरदारगढ के द्वारा सरदारगढ़ किले का विपक्षी संख्या 2 महिपाल सिंह के प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त किले का सनद पट्टा आबादी भूमि का विकय विलेख दिनाक 13.08.2003 को जारी किया गया जिसके पट्टा कमांक 18388 है। जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की पालना नहीं की गई है। विपक्षी संख्या 1 के द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये एवं सम्बन्धित सम्पत्ति के मालिकाना हक आदि के दस्तावेजों की पूर्ण जांच किये बिना सनद पट्टा जारी किया है। उक्त वादग्रस्त संपति निगराकार की स्वामित्व व आधिपत्य की संपत्ति है। एवं वादग्रस्त संपत्ति अविभाजित संपत्ति है। उक्त सम्पत्ति कभी भी विपक्षी संख्या 2 या विपक्षी संख्या 2 के पिता स्वर्गीय श्री मानसिंह जी की निजी सम्पत्ति नहीं रही है। उक्त सम्पत्ति मानसिंह जी को उनके पिता से और उन्हें उनके पिता पूर्वजों से प्राप्त हुई है, सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति है किसी भी रूप में सम्पत्ति निजी सम्पत्ति नहीं है। निगरानीकर्ता जो कि स्वर्गीय श्री मानसिंह जी डोडिया के पुत्र हैं एवं सनद पट्टा प्राप्तकर्ता श्री महीपाल सिंह जी जो कि निगरानीकर्ता के रक्त सम्बन्ध से स्थापित्त होकर सगे भाई है और चूंकि दोनो ही निगरानीकर्ता एवं विपक्षी संख्या 2 स्वर्गीय श्री मानसिंह जी के जायन्दा पुत्र हैं और स्वर्गीय श्री मानसिह जी को जो सम्पत्ति लावा सरदारगढ़ (किला) अपने पूर्वज अमरसिंह जी से प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त सम्पत्ति की प्रकृति पैतृक सम्पत्ति की है और चूंकि उक्त सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति है इस सन्दर्भ में निगरानीकर्ता एवं श्रीमती तेज कंवर पत्नी श्री महेन्द्रसिंह जी डोडिया के द्वारा एक विभाजन का वाद दिंनाक 05.08.2003 को माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश, राजसमन्द (राज.) मे प्रस्तुत किया था जिस पर दिनाक 11.10.2006 को माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) राजसमन्द (राज.) द्वारा निर्णित किया गया है। जिस सम्पत्ति बाबत विपक्षी संख्या 1 के द्वारा सनद पट्टा जारी किया गया है। उक्त सम्पत्ति उपरोक्त वर्णित वाद की वादग्रस्त सम्पत्ति है जिसके सन्दर्भ में माननीय न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री पारित की जाकर निगरानीकर्ता के पक्ष में 1/6 हिस्से का स्वामित्व एवं आधिपत्य मानते हुए निर्णित किया गया है और इसके सन्दर्भ में वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर (राज.) में मामला अपील के रूप में विचाराधीन है जिससे उक्त सनद पट्टा नामी सम्पत्ति लावा सरदारगढ़ (किला) वादग्रस्त सम्पत्ति है और अन्तिमतः निर्णित नहीं हुआ है और विधि की दृष्टि से भी मामला सबज्यूडिश है जिससे विपक्षी संख्या 2 के द्वारा तथ्यों को छिपा कर एवं झूठा प्रार्थना–पत्र व शपथ–पत्र देकर जो विपक्षी संख्या 1 से सनद पट्टा प्राप्त किया है वह विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। सम्पत्ति की प्रकृति स्पष्ट तौर पर पैतृक सम्पत्ति हैं और मानसिंह जी डोडिया को ऐसी सम्पत्ति के सन्दर्भ मे निजी सम्पत्ति बताकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था और साथ ही उनके उपरांत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भी विपक्षी संख्या 2 को अपने पक्ष में सनद पट्टा जारी करवाने का भी विधितः कोई

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अधिकार प्राप्त नहीं है। विपक्षी संख्या 2 की कोई लोकस स्टैण्डडाई नहीं है। मानसिंह जी के जीवनकाल में विपक्षी संख्या 2 महिपाल सिंह को वादग्रस्त संपत्ति का पट्टा प्राप्त करने की अधिकारिता नहीं है। ग्राम पंचायत लावा सरदारगढ विपक्षी संख्या 1 को ऐसा कोई भी प्रमाण–पत्र जारी करने का अधिकार प्राप्त नहीं हैं जिसमें यह तय किया जा सके कि सम्पत्ति किसकी थी, किसने विक्रय की, कौन कहा निवास करता था और कौन किसका गोदपुत्र हैं या गोद चला गया आदि बाते स्पष्ट करते हुए प्रमाण–पत्र जारी करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है किन्तु बिना किसी ठोस जानकारी एवं दस्तावेजी साक्ष्य के बिना विपक्षी संख्या 1 द्वारा ऐसा प्रमाण–पत्र जारी किया गया है जो कि उक्त सनद पट्टा कार्यवाही की मिसल मे सलंग्न है, ऐसा प्रमाण–पत्र भी निरस्तनीय है जो कि विधि से परे जाकर जारी किया गया है। पंचायत ने जो बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य की जानकारी किये जो पट्टा दिनाक 13.08.2003 को जारी किया गया है और साथ ही जो शपथ–पत्र दिंनाक 31.01.2004 को विपक्षी संख्या 2 के द्वारा प्रदत्त किया गया है उससे ही स्पष्ट है कि पट्टा पूर्व में ही जारी हो चुका है और शपथ–पत्र आगामी दिनाक पर प्राप्त किया गया है जिससे उक्त सनद पट्टे के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत लावा सरदारगढ विपक्षी संख्या 1 का फर्जीवाडा प्रमाणित होता है। विपक्षी संख्या 2 के द्वारा उक्त तथाकथित सनद पट्टे को प्राप्त कर उसका दुरूपयोग किया जाकर उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति पर तृतीय भार सृजित करते हुए विभिन्न बैंक एवं बैकिंग संस्था इत्यादि से ऋण आदि प्राप्त कर लिये है। विपक्षी संख्या 2 के द्वारा उक्त सनद पट्टे का दुरूपयोग किया जा रहा है जिससे विपक्षी संख्या 2 के द्वारा किये गये इन कृत्यों से निगरानीकर्ता के अधिकारों को नुकसान कारित हो रहा है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि निगरानीकर्ता की याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत सरदारगढ़, पंचायत समिति आमेट जिला राजसमन्द (राज.) द्वारा जारी सनद पट्टा दिनाकिंत 13.08.2003 को अपास्त किया जाकर निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

1- Civil writ (cw) No. 8568/2016
Ganpat lal /State&others
Dt. 10-08-2016

2-RLW (Raj.) 2018(3) – Page No. 2325
GHEWAR CHAND/ STATE OF RAJASTHAN

3- CIVIL Writ No. 1430/2012
[Raj High Court] Dt 17-01-2024

4- DNJ 2019(2) Page 570
ISSACK KHAN/ STATE OF RAJASTHAN

अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 2 ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपनी बहस में कथन किया कि निगराकार द्वारा विपक्षी संख्या 1 के द्वारा जारी किए गए आबादी भूमि का रजिस्टर्ड पट्टा विक्रय विलेख दिनांक 13.08.2003 विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

किए जाने के सम्बन्ध में निगराकार ने पैतृक हक बताते हुए यह निगरानी प्रस्तुत कर उक्त पट्टे को चुनौति देने हेतु यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। उक्त निगरानी प्रस्तुत करने का निगराकार को कोई हक अधिकार नहीं है। वादग्रस्त सम्पत्ति सरदारगढ़ किले के रूप में स्थित है। राजस्थान राज्य का गठन होने के समय भी अमरसिंह जी ठिकाना सरदारगढ़ के जागीरदार थे और अमरसिंह जी के जीवनकाल में राज्य सरकार द्वारा जब रियासत काल की जागीरे समाप्त कर जागीर रिजम्शन एक्ट के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गई उस समय जागीर कमिश्नर राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जागीर रिजम्शन एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुऐ ठिकाना सरदारगढ़ के जागीरदार अमरसिंह जी की निजी सम्पतियो के संबंध में जागीर कमिश्नर द्वारा दिनांक 02.08. 1963 को निर्णय करते हुऐ उनकी निजी सम्पत्ति का विनिश्चय किया गया है। अमरसिंह जी मांनसिह जी को गोद रखा था अर्थात जागीर अमरसिंह जी के मानसिंह जी के पिता थे और मानसिंह जी के पक्ष में दिनांक 12.12.1953 को अमरसिंह जी ने गोद नामा भी निष्पादित किया था। जिसके दस्तावेज पत्रावली में मौजुद है, अमरसिंह जी के मानसिंह जी एक मात्र वारिस उत्तराधिकारी थे और अमरसिंह जी के स्वर्गवास के बाद उक्त गढ़ उनके एक मात्र गोदपुत्र मानसिंह जी को प्राप्त हुआ है। जो कि मानसिंह जी की स्वअर्जित सम्पत्ति है यह सम्पति मान सिंह जी की ही सम्पति ही मानी जाएगी इस पर किसी अन्य का हक अधिकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा इसे पैतृक बताया गया है, जो सजरा बताया गया है, उसमें भी अमर सिंह द्वारा मान सिंह जी को गोद लेना बताया है मान सिंह जी अमर सिंह के गोद पुत्र होने से मान सिंह के पुत्रों का इस गढ़ में कोई हक अधिकार पैतृक होने के आधार पर निहीत नहीं हो सकता है। हिन्दू विधि अनुसार पैतृक सम्पति के सम्बन्ध में चार पीढी होना आवश्यक है, और हस्तगत प्रकरण में अमर सिंह जी की स्वर्जित सम्पति होने से मान सिंह को ही इस सम्पति में ही सारे हक अधिकार प्राप्त हुए है। सजरे में भी चौथी पीढी को नहीं दर्शाया गया है। मानसिंह जी ने अपने जीवनकाल में प्रतापसिंह को सरदारसिंह के यहाँ पर गोद रखने की सहमती प्रदान की थी तथा सरदारसिंह जी ने मानसिंह जी की सहमती होने से मानसिंह के छोटे पुत्र प्रतापसिंह को गोद रखा था तथा इस सम्बन्ध में विधिवत न केवल गोद नामा निष्पादित हुआ है बल्कि सरदारसिंह जी के स्वर्गवास के पश्चात प्रतापसिंह उनका गोद पुत्र होने की वजह से सरदारसिंह जी की समस्त चल अचल सम्पत्ति विधिवत मालिक बना है तथा मालिक बनने के पश्चात् सरदारसिंह से प्राप्त सम्पत्तियो को अंतरण की है। ग्राम पंचायत द्वारा मानसिंह जी की सहमती के आधार पर उनके पुत्र महिपालसिंह के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया गया। जिसकी जानकारी प्रारम्भ से ही प्रार्थी निगराकार प्रतापसिंह को रही है। फिर भी 18 वर्ष तक प्रतापसिह द्वारा उक्त पट्टे को प्रश्नचिन्ह नहीं किया और जब न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश महोदय राजसमन्द में प्रस्तुत वाद में पारित आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील अन्तिम सुनवाई हेतु नियत हुई है और प्रतापसिंह को यह जानकारी हो चुकी है माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में उसको सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है तो उनके द्वारा केवल विवाद करने के उद्देश्य से यह निगरानी याचिका 18 वर्ष पश्चात् अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की है। उक्त पट्टा पंजीयन करने के पूर्व उप पंजियक सरदारगढ द्वारा उक्त पट्टे को पंजीबद्ध नहीं किया था जिसके संबंध में श्रीमान

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान कर भवन अजमेर के आदेश क्रमांक एफ 7/69/04/1457 दिनांक 19.02.2004 को उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत आबादी भुमि में उक्त सम्पत्ति होने से स्वामित्व का प्रमाण पत्र नियमानुसार ग्राम पंचायत को जारी करने का अधिकार होने से उक्त पट्टे को नियमानुसार पंजीयन करने के आदेश जारी किये गये थे जिसकी पालना में उप पंजियक सरदारढ द्वारा उक्त पट्टे का पंजियन किया है। उप पंजियक सरदारगढ द्वारा उक्त पट्टे का पंजियन महानिरीक्षक पंजियन एवं मुद्रांक विभाग अजमेर के आदेश दिनांक 19.02.2004 की अनुपालना में पंजियन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में महानिरीक्षक पंजियन मुद्रांक के आदेश दिनांक 19.02.2004 को अपास्त कराये बगेर उक्त पंजीकृत पट्टे को कानूनन निरस्त नहीं किया जा सकता है। महानिरीक्षक पंजियन मुद्रांक के आदेश को निरस्त करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने के पश्चात् हस्तगत पट्टे को आदेश विशेष की पालना में पजीबद्ध किया गया है जिसको निगराकार द्वारा प्रश्नचिन्ह नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय को हस्तगत पट्टे को निरस्त करने की कानूनन कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है क्त सम्पति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है फिर भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भी यह सम्पति पैतृक सम्पति के रूप में कानूनन नहीं मानी जा सकती हैं क्योंकि जागीरदार कमीश्नर द्वारा इसे अमर सिंह जी की निजी सम्पत्ति घोषित किया गया है। विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में पूर्ण रूप से विधि की पालना करते हूए विपक्षी संख्या 1 ने जो पट्टा जारी कर महानिरीक्षक कर भवन अजमेर के आदेश की अनुपालना में पंजीबद्ध किया गया है, वह वैध व सही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि निगराकार की निगरानी उपरोक्त आधारों पर खारिज फरमाया जावे एवं विकल्प में निवेदन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में वादग्रस्त विषयवस्तु के सम्बन्ध में चल रहे प्रकरण के निस्तारण तक इस पश्चात्वर्ती निगरानी की कार्यवाही को स्थगित फरमाई जावे।

अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 2 ने अपनी बहस कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

1- Suprime today – 2001 s.c. page no. 217
2- Suprime today – 2013 s.c. page no. 624
3- S.C.C. – 2016 s.c. page no. 318
4- R.R.T. – 2015(2) Raj . H.C. page no. 967
5- DNJ – 2002 (1) Raj. H.C. page no. 307
6- DND. F.B. – 2016(3) Raj. H.C. page no. 1074
7- C.W.N. 13015/17, 1195/2019 I 5906/2019 rajasthan other court

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

12

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व पट्टा पत्रावली एवं अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का गहनतापूर्वक अध्ययन व मनन किया।

प्रश्नगत निगरानी याचिका में प्रमुखतया यह निर्णय किया जाना है कि ग्राम पंचायत सरदारगढ़ द्वारा पुराने गृहों के विनियमितीकरण के नियमों के तहत जारी पट्टा संख्य 18388 दिनांक 13.08.2003 को श्री महिपालसिंह को 3,00,000 वर्गफीट का पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना की गयी या नहीं की गयी।

अधिवक्ता निगराकार द्वारा प्रश्नगत संपत्ति को पुरानी एवं पैतृक होना अंकित किया गया। उनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में लावा सरदारगढ़ किले की वर्ष 1733 से 1738 के मध्य ठाकुर सरदारसिंह जी के द्वारा बनवाया जाना अंकित किया तथा सरदारसिंह जी से लगाकर प्रार्थी व अप्रार्थी तक का सजरा प्रस्तुत किया। अधिवक्ता निगराकार का कथन है कि उक्त सजरे के अनुसार प्रार्थी प्रतापसिंह भी अप्रार्थी महिपालसिंह के साथ उक्त संपत्ति में सहस्वामित्व रखते है जबकि पट्टा अकेले महिपालसिंह जी के नाम से जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपनी प्रारंभिक आपत्ति के पैरा संख्या 2 में सरदारगढ़ किले को वर्ष 1733 से 1738 के मध्य ठाकुर सरदारसिंह जी द्वारा बनवाया जाना स्वीकार किया। निगरानी याचिका के पैरावाईज जवाब के पैरा संख्या 3 में निगरानी के पैरा 3 का खण्डन करते हुए मात्र यह अंकित किया है कि **" निगराकार को उक्त निगरानी याचिका पेश करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। निगराकार का उक्त संपत्ति में काई हक हित निहित नहीं है। प्रतापसिंह, सरदारसिंह जी के यहां पर गोद चला गया था और सरदारसिंह जी की सारी संपत्ति प्रतापसिंह एवं तेजकंवर को प्राप्त हुई हैं एवं इसका उपयोग उपभोग एवं अन्तरण भी प्रतापसिंह एवं तेजकंवर ने संयुक्त रूप से किया है। अभी केवल विवाद पैदा करने के लिए उक्त निगरानी याचिका पेश की है निगराकार की लोकस नहीं है। विपक्षी संख्या 2 की उक्त संपत्ति निजी संपत्ति है। तथा जागीरदार मानसिंह द्वारा उक्त संपत्ति प्रदान की गयी है उक्त संपत्ति में उक्त निगरानी पेश करने का कोई अधिकार नहीं है।"** इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा सरदारगढ़ किले को ठाकुर सरदारसिंह द्वारा बनवाया जाना स्वीकार किया है परन्तु सजरा किस प्रकार गलत है यह अंकित नहीं किया है। मात्र प्रतापसिंह गोद जाने का उल्लेख किया है इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि प्रश्नगत संपत्ति लगभग 300 वर्ष पुरानी है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सजरे में महेन्द्रसिंह, मानसिंह, सायर कॅवर, अमरसिंह का सजरा अविवादित है। प्रार्थी प्रतापसिंह, मानसिंह का जन्म से पुत्र होना अविवादित है। जन्म के पश्चात गोदपुत्र होने अथवा नहीं होने के निर्णय का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का नहीं है।

राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) में यह प्रावधान है कि **"जहां व्यक्ति आबादी भूमि मे पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा :–**

(1) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रखते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल:

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व 50 वर्षो से अधिक = 100/– रूपये पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(ख) 31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती 70 वर्षो के दौरान = 200/– रूपये संनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

(2) उपर्युक्त खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत।" है।

अधीनस्थ ग्राम पंचायत सरदारगढ़ की मूल पट्टा पत्रावली के अनुसार श्री महिपालसिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 21.06.2003 को प्रस्तुत किया जिसमें उन्होने विषय में अंकित किया कि **" पुराने गृहों का विनियामति करण नियम राजस्थान पंचयातीराज नियम 1996 के नियम 157 अंतर्गत पट्टा दिलवाये जाने बाबत।"** ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आज्ञाओं की सूची दिनांक 21.06.2003 में उक्त प्रार्थना पत्र को धारा 145 के तहत स्वीकार करना अंकित किया एवं दिनांक 05.07.2003 को धारा 148 के अंतर्गत आपत्ति पत्र जारी करने का उल्लेख किया धारा 145 पंचायतीराज अधिनियम 1996 के यह प्रावधान है कि

(1) पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छुटा हुआ भूखण्ड या भूमि कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए करेगा। जो क्रय के लिए प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिए पर्याप्त हो।

(2) आवेदक अपने आवेदन के साथ स्थल–निरीक्षण के व्ययों के पेठे पच्चीस रूपये की राशि जमा करायेगा।

(3) यदि आवेदन के साथ स्थल नक्शा संलग्न नहीं किया गया हो तो नक्शा तैयार करने के लिए भी पच्चीस रूपये जमा करायेगा। ऐसे मामले सचिव आवेदक की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण करने के पश्चात स्थल नक्शा तैयार करेगा।

धारा 148 पंचायतीराज अधिनियम 1996 में यह प्रावधान है कि

(1) यदि पंचायत अनन्तिम रूप से यह विनिश्चय करे की विक्रय किया जाये तो वह उप नियम (2) में अधिकथित रीति से प्ररूप 22 में एक नोटिस, प्रस्तावित विक्रय के संबंध में, इसके प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर–भीतर आक्षेप आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करेगी परन्तु (राजस्व अभियान या प्रशासन गांवों के संघ अभियान या भूमि के विक्रय और पट्टा वितरण के लिए राज्य सरकार के आदेश द्वारा आयोजित किसी अन्य अभियान के समय आक्षेपों की आक्षेप आमंत्रण की अवधि एक माह के स्थान पर सात दिवस की होगी।)

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा और उसकी के प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर अभि प्राप्त करने के पश्चात पंचायत कार्यालय को लौटा दी जायेगी।

पंचायत द्वारा जारी आपत्ति नोटिस का भी अवलोकन किया उक्त आपत्ति नोटिस में अंकन किया गया कि **"एतद्वार सूचित किया जाता है कि श्री महिपालसिंह पिता श्री मानसिंह निवासी सरदारगढ़ ने आबादी भूमि को खरीदने बाबत में दरख्वास्त पेश की है यदि किसी को उक्त भूमि के बेचे जाने में किसी कदर का ऐतराज हो तो वह अंदर मियाद एक माह में अपने ऐतराज पेश कर दे।"**

पत्रावली में उपलब्ध ग्राम पंचायत द्वारा निगराणाधीन पट्टे का भी अवलोकन किया उक्त पट्टे के सबसे ऊपर लिखा है कि आबादी भूमि का विक्रय विलेख नियम 167(1)

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

है। उक्त पट्टे की पैरा संख्या 3 में उक्त भूमि दिनांक 13.08.2003 को विक्रेता की ओर से विक्रय के लिए, निलाम क लिए(भूमि के क्रय हेतु श्री महिपाल सिंह के आवेदन के अनुसरण में) प्रस्तावित की गयी थी और क्रेता की रियायती दर की बोली सबसे ऊंची होने के कारण स्वीकार कर ली गयी थी।

उक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है ग्राम पंचायत द्वारा समस्त प्रक्रिया एवं पट्टा नियम 167(1) के तहत जारी किया गया जो कि डिक्री के मामलो में लागु होता है। उक्त प्रश्नगत भूमि को न तो विक्रय किया गया और न ही उक्तानुसार प्रतिफल प्राप्त करने का कोई उल्लेख है।

जहां तक पुराने गृहों विनियमितीकरण का प्रश्न है इस प्रकार के पट्टे जारी करने के लिए राजस्थान पंचयातीराज नियम 1996 के नियम 157 में यह स्पष्ट प्रावधान अंकित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157 के तहत किसी प्रक्रिया की पालना नहीं की गयी। यह तथ्य निर्विवादित है कि जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया वह लगभग 300 वर्ष पुराना है प्रस्तुत सजरे एवं अप्रार्थी के जवाब से यह स्पष्ट है कि पट्टा जारी करने की दिनांक को मानसिंह, तेजकंवर और शकुन्तला जीवित वारिसान थे तथा नियम 157 के तहत महिपालसिंह पुराने गृहों का विनियमितीकरण के लिए पंचायत में प्रार्थना प्रस्तुत करने के लिए विधिक रूप से अनुमत ही नहीं था। पुराने गृह के लिए तत्समय जीवित व्यक्ति ही आवेदन कर सकता है। मानसिंह का अपने जीवित रहते हुए किसी अन्य एक पुत्र के पक्ष में पट्टा जारी करने की सहमति देने से राजस्थान पंचयातीराज नियम 1996 के तहत अधिकार सृजित नहीं हो जाते है।

ग्राम पंचायत द्वारा जो आपत्ति आमंत्रित किया जाना है। वो इस प्रकार के प्रकरणों में अत्यधिक महत्तवपूर्ण हो जाता है। प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा जारी आपत्ति में तथ्यों को गलत रूप से दर्शाया गया है। प्रश्नगत पट्टा डिक्री के माध्यम से विक्रय होना बताते हुए पट्टा जारी करने की मंशा दर्शायी गयी थी जबकि तथ्य इसके विपरीत थे। इस प्रकार आपत्ति आमंत्रण की प्रक्रिया की भी पूर्ण पालना नहीं की गयी।

राजस्थान पंचयातीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत पुराने गृह के विनियमितीकरण के लिए ग्राम पंचायत की शक्तिया मात्र 300 वर्गगत तक की है उससे अधिक क्षेत्रफल के लिए नियम 157(2) में जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन की शर्त है। इस प्रकरण में प्रश्नगत पट्टा 300X1000 वर्गफीट यानि 3,00,000 वर्गफीट यानि लगभग 33400 वर्गगज क्षेत्र का जारी किया गया जो ग्राम पंचायत की अधिकारिता से बाहर है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा न तो नियम 167 राजस्थान पंचयातीराज नियम 1996 की पालना की गयी। न ही नियम 157 राजस्थान पंचयातीराज नियम 1996 की पालना की गयी।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा एक प्रमुख बिन्दु यह भी उठाया गया कि सरदारगढ़ किला श्री अमरसिंह जी की स्वअर्जित संपत्ति थी तथा अप्रार्थी के पिता मानसिंह अमरसिंह जी के एकमात्र उत्तराधिकारी थे अतः उक्त संपत्ति मानसिंहजी की स्वअर्जित संपत्ति हो गयी तथा प्रतापसिंह गोद चले जाने के कारण मानसिंह की संपत्ति में प्रतापसिंह का कोई स्वामित्व नहीं रह जाता है इसके समर्थन में अप्रार्थी द्वारा जागीर कमिश्नर के आदेश दिनांक 02.08.1963 की फोटोप्रति, अपंजीकृत गोदनामे की फोटोप्रति प्रस्तुत की। गोदपुत्र होने का विनिश्चय बिना

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

किसी सक्षम न्यायालय के करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है न ही यह न्यायालय गोद पुत्र बाबत विनिश्चय कर सकता है। जागीर कमिश्नर द्वारा दिये गये आदेश की पत्रावली न तो इस न्यायालय में है और न ही इसकी व्याख्या करने के लिए इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। यहां पर राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के तहत जारी पट्टे की प्रक्रियात्मक वैधता को निर्णित किया जाना है। अतः अप्रार्थी के उक्त तर्को को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त जागीर एजेम्सन एक्ट, रिवीजन सुनने के न्यायालय के क्षेत्राधिकार बाबत है जो इस प्रकरण में लागु नहीं होते है। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के तहत जारी पट्टे में यदि प्रक्रियात्मक पालना नहीं की गयी तो मात्र पंजीकरण होने के आधार पर इस न्यायालय की अधिकारिता समाप्त नहीं हो जाती है।

उक्त समस्त तथ्यों के विवेचन से न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि ग्राम पंचायत सरदारगढ़ द्वारा नियम 167(1) राजस्थान पंचयातीराज नियम 1996 के तहत जारी पट्टा संख्या 18388 दिनांक 13.08.2003 में राजस्थान पंचयातीराज नियम 1996 के नियम 157 एवं 167(1) इससे संबंधित प्रावधनों की पालना नहीं की गयी। स्वामित्व की पूर्ण जांच नहीं की गयी और न ही नियमों में विहित प्रक्रिया की पालना की गयी। अतः अधिवक्ता निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सरदारगढ़ द्वारा गैर निगराकार संख्या 02 श्री महिपाल सिंह पिता मानसिंह डोडिया के पक्ष में जारी पट्टा संख्या पट्टा संख्या 18388 दिनाक 13.08.2003 को निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत सरदारगढ़ को निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत की मूल पट्टा पत्रावली भिजवायी जावे।

9/5/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 09.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/5/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)